चतुर्दश माला, खंड 17, अंक 9

मंगलवार, 28 फरवरी, 2006
9 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gaz... Unit
Parliament ... Building
Acc. No. 60
Dated 4 Jan 2007

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)]

अंक 9, मंगलवार, 28 फरवरी, 2006/9 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सामान्य बजट, 2006-2007	
श्री पी. चिदम्बरम	1-41
राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण	
श्री पी. चिदम्बरम	41
वित्त विधेयक, 2006	42

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 28 फरवरी, 2006/9 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, आपका फिर से स्वागत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि मुझे यहां दोबारा देखकर आप दुखी नहीं होंगे। मेरे प्रति दिखायी गयी चिन्ता के लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी सह्रदयता से मैं अभिभूत हूं।

अब बजट (सामान्य) प्रस्तुत किया जाए। माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सामान्य बजट, 2006-2007

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

I. अर्थव्यवस्था का पर्यावलोकन

बीस महीने पहले, जब मैंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था, तो मैंने माननीय सदस्यों और इस देश के सभी लोगों का सम्मान और साहस के मार्ग पर हमारे साथ चलने का आह्वान किया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (यू.पी.ए.) के पहले वर्ष के कार्य निष्पादन की अन्तिम रिपोर्ट निकल चुकी है और इस पर प्रसन्नता व्यक्त की जा सकती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) के अनुसार वर्ष 2004-05 में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर, सकल घरेलू बचतों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 29.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और सकल पूंजी निर्माण की दर बढ़कर जी.डी.पी. का 30.1 प्रतिशत हो गई। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इन परिणामों के पीछे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) द्वारा दिया गया राजनैतिक संदेश; प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का दूरदर्शी नेतृत्व; सरकार द्वारा किये गये नीतिगत परिवर्तन और भारतीय जनता का यह अटूट विश्वास है कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2005-06 की संभावनायें अच्छी हैं भले ही बेहतर न हों। इस वर्ष को सबसे अच्छा और सबसे बुरा वर्ष कहा जा सकता है। प्रकृति की हम पर कृपा नहीं रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों, सड़कों, मकानों और आधार संरचनाओं की अत्यधिक क्षति के साथ साथ भारी संख्या में मानव जीवन का संहार किया। सरकार ने तुरंत अंतरिम राहत प्रदान की और इसके साथ साथ केन्द्रीय आरक्षित निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से आज तक कुल 5145.37 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। स्पष्टतः यह सहायता पर्याप्त नहीं होगी। योजना आयोग क्षतिग्रस्त आधार संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये धन प्रदान करेगी।

यह सबसे अच्छा समय भी था। सरकार उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित करने के एन.सी.एम.पी. के पहले दायित्व को पूरा करने में समर्थ रही है। सी.एस.ओ. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस वर्ष जी.डी.पी. की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत होने की संभावना है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत होने की आशा है। कृषि वृद्धि दर पुनः 2.3 प्रतिशत पर आ गई है और खनन को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निष्पादन संतोषजनक है। 11 फरवरी, 2006 को मुद्रास्फीति 4.02 प्रतिशत थी। गैर-खाद्य ऋण में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है। इसका अधिकांश श्रेय हमारे किसानों, कामगारो, सेवा प्रदायकों, व्यापारियों और कारोबारियों को जाता है और उनका सम्मान करने में मेरा साथ देने का मैं सदन से आग्रह करता हूं।

गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार जारी है। मेरा विश्वास है कि गरीबी का सबसे अच्छा इलाज वृद्धि एवं विकास है। दसवीं योजना के लिये जी.डी.पी. वृद्धि लक्ष्य 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। तीन वर्षों में 7.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से यह संभव है कि समग्र वृद्धि दर 7 प्रतिशत होगी। प्रधान मंत्री ने अपने हाल के वक्तव्यों में यह सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत की है और सरकार इस उच्च वृद्धि की मंजिल तक देश को ले जाने के लिये कृत संकल्प है। वृद्धि हमारी मंजिल होगी; समानता हमारी सहचरी होगी; और सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य होगा।

II. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधिदेश का कार्यान्वयन

इस वर्ष की हमारी यह सफलता बढ़े हुए राजस्वों और नियंत्रित व्यय के मध्यम से राजकोषीय विवेक पर हमारे द्वारा निरंतर जोर देने, मौद्रिक स्थायित्व और विदेशी ऋण प्रबंधन का परिणाम है। तथापि, हमारी सफलता के संतोष से हमें इस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और हम ऐसा नहीं होने देंगे।

एन.सी.एम.पी. का एक महत्वपूर्ण दायित्व था कृषि पर ध्यान केन्द्रित करना: हमने ऐसा किया है और खाद्यान्न उत्पादन 209.3 मिलियन टन होने की आशा है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 मिलियन टन अधिक है।

एन.सी.एम.पी. का अधिदेश रोजगार को बढ़ावा देना है: गरीबों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिये उत्पादक क्षेत्रों में स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करते हुए 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की गई। चालू वर्ष में काम के बदले अनाज कार्यक्रम सहित अनेक स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार

के लिये 11,700 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने की आशा है।

एन.सी.एम.पी. का अधिदेश सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने का हैं; निवेश की दर 2002-03 में 25.3 प्रतिशत से निरंतर बढ़कर 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गई है। अनेक संकेतक अर्थव्यवस्था में पूजी निर्माण के निरंतर उछाल को प्रदर्शित करते हैं।

एन.सी.एम.पी. सरकार द्वारा आधार संरचनाएं बढ़ाने का भी अधिदेश देता है। वर्ष 2005-06 में विद्युत उत्पादन में 5,083 मेगवाट क्षमता बढ़ाई जाएगी और दसवीं योजना अवधि के दौरान कुल क्षमता वृद्धि 34,000 मेगावाट करने का अनुमान है जो एक रिकार्ड है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2005 तक 95 जिलों में परियोजनाओं के लिये ठेके दिये गये हैं जिनके अंतर्गत 41,461 अविद्युतीकृत और 9,379 विद्युतीकृत गांव शामिल हैं। स्वर्ण चतुर्भुज (जी.क्यू.) और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारों (कारिडोर्स) पर पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। मई 2004 से पूर्व पूर्ण 1.86 किमी. प्रतिदिन की तुलना में, योजनायें 4.48 किमी. प्रतिदिन की गति से बढ़ रही है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : यह गलत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वित्तमंत्री महोदय स्वयं इसे देख सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : जून, 2006 तक 96 प्रतिशत जी.क्यू. पूरे कर लिये जायेंगे और 2008 के अंत तक गलियारे पूर्ण हो जायेंगे। हमारे पत्तनों, विमानपत्तनों और ग्रामीण सड़कों का सुधार कार्य भी पर्याप्त रूप से प्रगति पर है।

वर्ष की समाप्ति तक मैं संतोष के साथ यह कह पाऊंगा कि हमने आम आदमी को जो वचन दिये थे उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया गया है।

III. भारत निर्माण

मैं भारत निर्माण का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। यह प्रशासन में यू.पी.ए. की कार्यप्रणाली का प्रतीक है। यह परिवर्तन का ऐसा उदाहरण है जिससे हम वृद्धि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग आधार संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के लिये कर सकेंगे। माननीय सदस्य भारत निर्माण के छः घटकों और वर्ष 2009 तक प्राप्त किये जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से अवगत हैं। इसके कार्यानवयन के पहले वर्ष 2005-06 में:-

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत अब तक अनुदान के रूप में 944.18 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं और इस वर्ष 600,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है।
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना (ए.आर.डब्ल्यु.एस.पी.) के अंतर्गत 56,270 आवासों के भौतिक लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2006 तक 47,546 आवासों को इसमें लाया जा चुका है।
- ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत सितम्बर, 2005 तक 5,337 आवासों को जोड़ा गया और अभी तक 3,749 करोड़ रुपये रिलीज कर दिये गए हैं।
- जनवरी, 2006 तक 870,000 ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है और 2,260 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 1,100 करोड़ रुपये के संपूर्ण आबंटन की धनराशि रिलीज कर दी गई है और 10,366 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की आशा है।
- तीन वर्षीय कार्यक्रम के पहले वर्ष में दिसंबर, 2005 तक 17,182 गांवों को टेलीफोन प्रदान किये गये हैं।

जो भारत निर्माण का मजाक उड़ाते थे उनके लिये ये आंकड़े एक सटीक उत्तर में हैं। हम इस कार्यक्रम को मिशन के रूप में चलाने और निष्पादित करने के प्रति दृढ़-संकल्प हैं। चूंकि भारत निर्माण के कार्यान्वयन ने गति पकड़ ली है, अतः मैं इस कार्यक्रम के लिये अधिक बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। पूर्वोत्तर घटक सहित चालू वर्ष में प्रदान किये गये 12,160 करोड़ रुपये की तुलना में 2006-07 के लिए यह बजटीय प्रावधान 18,696 करोड़ रुपये का होगा जो 54 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

IV. अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

अब मैं बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्पष्टतः, संसाधनों का बड़ा हिस्सा यू.पी.ए. सरकार के आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों अर्थात् सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, संपूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को जाना चाहिए।

वर्ष 2005-06 में योजना के लिये सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) 143,497 करोड़ रुपये की थी। इसमें से केन्द्रीय योजना को सहायता 110,385 करोड़ रुपये की थी। मैं दोनों आबंटनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2006-07 के लिये

जी.बी.एस 172,728 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 20.4 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से केन्द्रीय योजना को 131,285 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता जारी रहेगी। वर्ष 2006-07 के लिए शिक्षा में आवंटन 31.5 प्रतिशत बढ़ाकर 24,115 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 22.0 प्रतिशत बढ़ाकर 12,546 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2005-06 में कुल आबंटन की धनराशि 34,927 करोड़ रुपये थी। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल आबंटन 50,015 करोड़ रुपये का होगा जो 15,088 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि या 43.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.)

परंतु हमें इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिये स्कीमों और कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के आयोजना बजट का 10 प्रतिशत आबंटन जोड़ना चाहिए। अकेले फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2006-07 में यह 4,870 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के समान होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये कुल बजट आबंटन 12,041 करोड़ रुपये है जिसमें 1,350 करोड़ रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डी.ओ.एन.आर.) को दी गई थी। बजट अनुमान 2005-06 की तुलना में बजट अनुमान 2006-07 में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) ने नये विद्यालयों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षों और अतिरिक्त अध्यापकों के संदर्भ में 2005-06 में उल्लेखनीय प्रगति की है। दो स्वतंत्र सर्वेक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 93 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय न आने वाले बच्चों की संख्या कम होकर लगभग एक करोड़ रह गई है। इस अच्छे निष्पादन को देखते हुए मैं 2006-07 में एस.एस.ए. के लिये यह परिव्यय 7,156 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,041 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। 5,00,000 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों का निर्माण किया जाएगा और 150,000 अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2006-07 में हम शिक्षा उपकर के माध्यम से जुटाये गये राजस्व से 8,746 करोड़ रुपये प्रारंभिक शिक्षा कोष में हस्तांतरित करेंगे।

मध्याह्न भोजन स्कीम

मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत अब 12 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है जो विश्व में सबसे बड़ा "स्कूल लंच" कार्यक्रम है। मैं आबंटन 3,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4,813 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

पेयजल एवं सफाई

पेयजल के चालू वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और 56,270 आवासों और 140,000 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। शामिल न किये जाने के अलावा चूक हो जाने की निरंतर समस्या होती है। दोनों समस्याओं के समाधान की कार्यनीति में संरक्षण, बेहतर प्रचालन प्रबंधन और जल गुणवत्ता मानिटरिंग तथा ग्रामीण स्तर पर क्षमता निर्माण शामिल है। जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और फील्ड स्तरीय पेजयल किटों के लिये सरकार 2006-07 में 213 करोड़ रुपये की अनावर्ती सहायता प्रदान करेगी। मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिये प्रावधान 3,645 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 4,680 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं ग्रामीण सफाई अभियान के लिये प्रावधान 630 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 720 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। मुझे विश्वास है कि 2006-07 में 200,000 से अधिक सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए.) पूर्ण रूप से कार्यरत हो जायेंगे और 1,000 से अधिक ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिन रात सेवायें प्रदान करेंगे। मैंने एन.आर.एच.एम. के लिये आबंटन 6,553 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिये 8,207 करोड़ रुपये कर दिया है।

"कुष्ठ रोग उन्मूलन" को परिभाषित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक प्रति 10,000 की आबादी पर एक मामला है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य दिसंबर, 2005 में प्राप्त कर लिया गया है। उत्साहजनक टीकाकरण कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आशा करते हैं कि दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियो का भी सफाया हो जाएगा।

एकीकृत बाल विकास सेवायें

हमने एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम का विस्तार किया है और 188,168 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की है। पूरक पोषाहार इस स्कीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इस वर्ष से शुरू करते हुए केन्द्र सरकार पूरक पोषाहार के लिये राज्यों को किये गये वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत या लागत मानदण्डों के 50

प्रतिशत, जो भी कम हो की सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष केन्द्र सरकार की यह लागत 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, और वर्ष 2006-07 के लिये मैं यह सहायता बढ़ाकर 1,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। आई.सी.डी.एस. के लिये कुल आबंटन 3,315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,087 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन.आर.ई.जी.)

मैंने ग्रामीण रोजगार स्कीम का उल्लेख किया है जो ग्रामीण बेरोजगारी और भुखमरी से लड़ने का मुख्य साधन है। वर्ष 2006-07 में ग्रामीण रोजगार के लिए कुल आवंटन 14,300 करोड़ रुपये का होगा। इसमें से 11,300 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एन.आर.ई.जी. अधिनियम के अंतर्गत होंगे और 3,000 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एसजीआरवाई के अंतर्गत होंगे। चूंकि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की वैधानिक गारंटी है अतः आवश्यकता के अनुसार अधिक निधियां प्रदान की जाएंगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 3 दिसम्बर, 2005 से शुरू किया गया था। अगले वर्ष के लिये 6,250 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय में 4,595 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। मुंबई मेट्रो रेल और बंगलौर मैट्रो रेल सहित, जिनका मैंने अपने पिछले बजट में उल्लेख किया था, चार परियोजनाओं के अलावा जो परियोजनायें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, उनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात की परियोजनायें शामिल हैं।

पिछली रात मुझे आंध्र प्रदेश सरकार का भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें हैदराबाद मैट्रो रेल को इसके अंतर्गत शामिल किये जाने का आग्रह किया है। इस पर भी विचार किया जाएगा।

वृद्धि, रोजगार एवं बेहतर जीवन दशा के लिये नियोजित शहरीकरण प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। सरकार नये नगरों की स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी, विशेषकर विशिष्ट उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, या विशिष्ट क्षेत्र जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुछ परियोजनायें तैयार की जा रही हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले गरीब व्यक्तियों को प्रतिमाह 75 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। यह एकदम अपर्याप्त है। मैं यह पेंशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने वर्ष 2006-07 के लिये 1,430 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है और वर्ष के दौरान यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएगी। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वह अपने संसाधनों से समान अंशदान करें ताकि गरीब पेंशनर को प्रतिमाह कम से कम 400 रुपये मिल सकें। मैं डाक विभाग और बैंकों के साथ कार्य करने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि दो वर्ष के अंदर एक ऐसी प्रणाली स्थापित हो जाये जिसके अंतर्गत डाकघर या बैंक में लाभार्थी के खाते में पेंशन जमा हो सके।

महिलायें और बच्चे

पिछले वर्ष मैंने बजटीय आबंटनों की लिंग आधारित संवेदनशीलताओं पर प्रकाश डालते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया था। मैं 10 अनुदान मांगे शामिल कर सका। इस बार मैं ऐसी स्कीमों को शामिल करने के लिये लिंग आधारित बजट व्यवस्था पर विवरण बढ़ाने में सफल रहा हूं जहां 100 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लाभ के लिये है और जहां स्कीमों में कम से कम 30 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लिये है। अब इस विवरण के अंतर्गत 18 मंत्रालयों/विभागों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों की 24 अनुदान मांगें और 28,737 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्कीमें शामिल हैं।

इसके अलावा अनेक मंत्रालयों और विभागों ने लिंग के परिप्रेक्ष्य में अपने बजट की लोक व्यय रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। 32 मंत्रालयों और विभागों ने लिंग आधारित बजट व्यवस्था कक्षों की स्थापना कर दी है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बजट में पिछले वर्ष की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की स्कीमों पर अलग से विवरण दिया गया है। समान आधार केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए आबंटन 14.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,902 करोड़ रुपये किया गया है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कम से कम 20 प्रतिशत आबंटन वाली स्कीमों के लिये आबंटन 13.9 प्रतिशत बढ़ाकर 9,690 करोड़ रुपये किया गया है।

वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में इक्विटी अंशदान बढ़ाकर 37 करोड़ रुपये किया जा रहा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम में 80 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक

मैं अल्पसंख्यकों के कल्याण में सक्रियता से कार्य कर रहे संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, मेरी मंशा मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउण्डेशन की निधि के कार्पस को दुगुना कर 200 करोड़ रुपये करने की है।

मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में 16.47 करोड़ रुपये के अंशदान प्रदान कर इसका इक्विटी आधार सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूं। 15 अगस्त, 2005 को प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुरूप यह निगम शहरी और इसके आसपास के केन्द्रों में रहने वाले शिल्पियों और बुनकरों, विशेषकर अल्पसंख्यकों की अधिकता वाले जिलों में पहुंचकर अपने प्रयत्नों में तेजी लाएगा। कार्यक्रम में कौशल बढ़ाने, ऋण और तकनीकी-प्रबंधकीय सहायता पर जोर दिया जाएगा।

मैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद के लिये आबंटन 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां छात्रों को उच्चतर अध्ययनों के लिये प्रोत्साहित करती हैं। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये 20,000 ऐसी छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करेगी। वर्ष 2006-07 में स्कीम को एक बार अंतिम रूप दिये जाने पर, मैं आवश्यक निधियां आबंटित करने का विचार रखता हूं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम

वर्ष 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये 1,000 नये आवासीय-विद्यालय खोले जायेंगे। मैंने 128 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है और वर्ष के दौरान 172 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिये मैं सहमत हूं। मैं ऐसी बालिका के लिये, जो आठवी दर्जे की परीक्षा उत्तीर्ण करती है और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है, आगे और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। उसके नाम पर 3,000 रुपये की धनराशि रख दी जाएगी और 18 वर्ष की आयु होने पर वह ब्याज सहित इसे निकाल सकने की हकदार होगी।

सरकार ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों में केवल "मात्रा" से "गुणवत्ता" की दिशा में अधिक ध्यान देना शुरू किया है। सार्वजनिक व्यय के लिये मूल्य सुनिश्चित करने हेतु 25 अगस्त, 2005 को पहली बार एक "आउटकम बजट" प्रस्तुत किया गया था। सरकार का इरादा बजट सत्र की समाप्ति से पहले प्रथम आउटकम बजट पर एक निष्पादन बजट प्रस्तुत करने का है। वर्ष 2006-07 का आउटकम बजट 17 मार्च, 2006 तक इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह नया प्रयास सही मात्रा और गुणवत्ता में लक्षित सेवायें आम आदमी को प्रदान करने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है।

V. निवेश

देश में निवेश की तेजी आई है और निवेशकों के विश्वास को बनाये रखना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत, पूर्वी एशिया और चीन की उच्च्य निवेश दरों को प्राप्त कर रहा है। माननीय सदस्य इस समय यह पायेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में अधिक निवेश को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सरकार सुदृढ़ और प्रभावशाली सरकारी क्षेत्र के लिये वचनबद्ध है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पास आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों के जरिये 2006-07 के लिये 122,757 करोड़ रुपये की निवेश-योजनायें हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (रेलवे सहित) को 16,901 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 2,789 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करेगी। इसके अलावा मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हमने सरकारी क्षेत्र के दस उद्यमों के पुनर्गठन के लिये जिसमें भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड और भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड भी शामिल हैं, नकद रूप में 1,180 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और 2,566 करोड़ रुपये की गैर-नकदी न्यौछावर की है।

हमारा विश्वास है कि भारत को रत्न और आभूषण के उद्योग के एक केन्द्र के रूप में विकसित करने की काफी गुंजाइश है। अतः मैं एक विशेषज्ञ निकाय गठित करने का प्रस्ताव करता हूं जो इस क्षेत्र की संभावनाओं और भारत तथा विदेश मे विद्यमान कराधान पद्धतियों की जांच करेगा और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। मुझे विश्वास है कि इस घोषणा का अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वागत किया जाएगा जो भारत को भावी विस्तार एवं वृद्धि के स्थान के रूप में देख रहे हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। भारत को विश्व बाजार के लिये वस्त्र, आटोमोबाइल्स, इस्पात, धातुओं, पेट्रोलियम उत्पादों आदि के विनिर्माण का केन्द्र स्थान बनाने के हमारे पास अवसर हैं। कलेण्डर वर्ष 2005 में नवम्बर, 2005 तक 4 बिलियन डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अनुमान है जिसमें पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी की गणना नहीं की गई है। मुझे विश्वास है कि हाल के नीतिगत परिवर्तनों से देश में, विशेषकर आधार संरचना में, अधिक विदेशी निवेश होगा।

VI. कृषि

अब मैं अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ओर आता हूं। हमेशा की तरह हमारी सरकार का मुख्य जोर कृषि पर है। आश्वासित सिंचाई, ऋण, विविधीकरण और कृषि उत्पादों के लिये बाजार सृजित करना हमारे मुख्य क्षेत्र हैं।

सिंचाई

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत 2005-06 में 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय में से अनुदान के रूप में 1,680 करोड़ रुपये दिये गये। राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से 2,520 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की आशा है और वर्ष के अंत से पहले 25 परियोजनाएं पूरी होने की आशा है। वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 7,121 करोड़ रुपये कर दिया गया है और केन्द्र सरकार 2,350 करोड़ रुपये के अनुदान के माध्यम से कार्यक्रम को सहायता देगी। जल संसाधन मंत्रालय जल उपयोगकर्ता संघों से माध्यम के भागीदारीपूर्ण सिंचाई के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करेगा।

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्बहाली कार्यक्रम का कार्यान्वयन 13 राज्यों के 23 जिलों में पायलट परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। राज्यों के परामर्श से कार्यक्रम के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले चरण में 1.47 मिलियन हेक्टेयर के कमान क्षेत्र चरण में 20,000 जल निकायों की पहचान कर ली गई है। इसकी अनुमानित लागत 4,481 करोड़ रुपये है। निधि पोषण प्रणाली (केन्द्र, राज्य और विदेशी सहायता) को अंतिम रूप दे दिया गया है और मेरा बहु-पक्षीय एजेंसियों से निधियां मांगने और प्राप्त करने का विचार है। भागीदार राज्य सरकार से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा और उस राज्य के जल निकायों को 2006-07 में मरम्मत, नवीकरण और पुनर्बहाली के लिये किया जाएगा।

ऋण

वर्ष 2004-05 में फार्म ऋण बढ़कर 125,309 करोड़ रुपये (लक्ष्य से काफी ऊपर) किया गया और इसके चालू वर्ष के लिये निर्धारित 141,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पुनः पार करने की आशा है। मैं 2006-07 में ऋण स्तर बढ़ाकर 175,000 करोड़ रुपये करने और अपने पोर्टफोलियो में अन्य 50 लाख किसानों को शामिल करने के लिए बैंकों से अनुरोध करने का प्रस्ताव करता हूं। हम तीन वर्षों में कृषि ऋण प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि इसको दुगुना करने के लक्ष्य से भी आगे बढ़ जायेंगे। चूंकि काश्तकार किसानों को पर्याप्त रूप से लाभ नहीं मिलता अतः मैंने काश्तकार किसानों के स्व-सहायता समूहों या संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों के लिए अलग खिड़की खोलने और उन्हें कुल ऋण का एक निर्धारित हिस्सा देना सुनिश्चित करने के लिये बैंकों से कहा है। मैं इस संबंध में हुई प्रगति की बारीकी से मॉनिटरिंग करने का इरादा रखता हूं।

पिछले दो वर्षों में किसानों के सामने आई गंभीर कठिनाइयों की मुझे जानकारी है। हमारी सरकार दयालु है। मेरे सामने गंभीर राजकोषीय कठिनाईयां भी हैं। मैं किसी दुविधा की स्थिति में अधिकतर अपने प्रिय कवि-दार्शनिक, संत तिरुवल्लुवर का सहारा लेता हूं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था:

"कर्मम सिघयमल कन्नोडा वल्लार्कु
उरिमई उड़यदु इव उलगु"

(यह संसार उसका है जो अपना कार्य दयालु भाव से करता है)

मैं हमारे किसानों की सहायता के लिए और भी अधिक सहयोग करने को तैयार हूं। इसकी शुरुआत करते हुए मैं उन किसानों को कुछ राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आर.आर.बी. और पी.ए.सी.एस. से खरीफ और रबी, 2005-06 के लिये फसल ऋण लिया है। तदनुसार 1,00,000 रुपये तक के मूल धन पर ऋणकर्ता के ब्याज की देनदारी के दो प्रतिशत प्वाइंट के बराबर धनराशि 31 मार्च, 2006 से पहले उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैंने 1,700 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मुझे आशा है कि यह सदन सरकार के इस विशेष प्रयास का स्वागत करेगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : इसका बहुत लाभ नहीं होगा...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : हमारे किसानों के लिए मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। किसान सहकारी ऋण संरचना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से अल्पावधिक ऋण प्राप्त करते हैं, जिसका नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी किसानों को अधिकाधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। मेरा इरादा यह सुनिश्चित करने का है कि "नाबार्ड" तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को किफायती दर पर पुनर्वित्त ऋण देना जारी रखे ताकि किसान को उचित दर पर ऋण मिल सके। तदनुसार बाजार के हालात पर ध्यानपूर्वक विचार करके सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर अल्पावधिक ऋण मिल सके जिसकी मूलधन पर अधिकतम सीमा 3,00,000 रुपये हो।

श्री किन्जरपु येरननायडु : इसे घटाकर चार प्रतिशत किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसे घटाकर चार प्रतिशत किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सामान्य बजट पर बहस के दौरान अपने सुझाव दे सकते हैं। अब उनकी बात सुनें। देश उनकी बात सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप बाद में अपने सुझाव दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : इसके लिए नाबार्ड को कुछ स्तर तक आर्थिक सहायता की जरूरत होगी। मैं आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू होगी तथा मैं उचित समय पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूंगा।

ग्रामीण आधार संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) ने अभी तक 11 किश्तों में निधियां वितरित की हैं। आर.आई.डी.एफ. XI की स्वीकृतियां 31 जनवरी, 2006 तक 7,301 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई हैं। इस वर्ष की स्वीकृतियों की एक विशेषता यह है कि 346 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष के अंत तक इस धनराशि के 600 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। ग्रामीण आधार संरचना के सृजन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं आर.आई.डी.एफ. XII का कार्पस बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं और राज्य सरकारों से इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

मैं आर.आई.डी.एफ. निधियों तक पहुंच के लिये सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माडल के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की स्वीकृति का भी प्रस्ताव करता हूं।

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के लिये बड़ी निधियों की आवश्यकता है। अत: मैं ग्रामीण सड़कों के लिये वर्ष 2006-07 के दौरान आर.आई.डी.एफ. XII के अधीन 4,000 करोड़ रुपये से कार्पस से एक अलग खिड़की खोलने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि बीमा

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) को खरीफ और रबी 2006-07 के लिये इसके वर्तमान रूप में ही जारी रखा जाएगा।

बागान क्षेत्र

चाय के बड़े पैमाने पर पौधारोपण और उसे पुन: उगाने के लिये 15-वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने की पिछले बजट की घोषणा के क्रम में वाणिज्य मंत्रालय ने एक विशेष प्रयोजनी चाय निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं परंतु इस विचार को अपना समर्थन देने के लिये मैं इस निधि में प्रतिवर्ष लेवीयुक्त अंशदान का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2006-07 के लिये यह अंशदान 100 करोड़ रुपये होने की आशा है। इसकी स्थापना हो जाने पर यह निधि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तरांचल राज्यों सहित चाय उत्पादक राज्यों में उत्पादकों को लाभ प्रदान करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

सूक्ष्म-वित्त

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने पिछले बजट में सूक्ष्म वित्त के संबंध में बड़ी पहले करने का प्रस्ताव किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकिंग संवाददाता और बैंकिंग एजेंटों की नियुक्ति के लिये मार्ग-निर्देश जारी कर दिये हैं। ई.सी.बी. निधियों तक पहुंचने के लिये एक खिड़की भी खोल दी गई है। सूक्षम वित्त क्षेत्रक के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिये एक औपचारिक सांविधिक ढांचा प्रदान करने हेतु इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) आन्दोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यू.पी.ए. सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हमने 801,000 स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ा है। इन स्व-सहायता समूहों को वितरित ऋण की धनराशि लगभग 4,863 करोड़ रुपये है। मैं वर्ष 2006-07 में अन्य 385,000 एस.एच.जी. को ऋण संबद्ध करने के लिये बैंकिंग क्षेत्रक से अनुरोध करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एस.एच.जी. के माध्यम से फार्म उत्पादन के वित्त पोषण और निवेश-क्रियाकलापों हेतु अलग ऋण-लाइन खोलने का "नाबार्ड" से भी आग्रह करूंगा।

एनएसएस के 59वें चक्र (2003) के निष्कर्षों से पता चलता है कि कुल किसान परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत को ही विधिवत् स्रोतों से तथा 22 प्रतिशत किसान परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है। शेष परिवारों, जो मुख्यत: छोटे तथा सीमांत किसान हैं, की वास्तव में ऋण तक पहुंच हो ही नहीं पाती। अधिक किसान परिवारों को बैंकिंग दायरे में शामिल करने के लिए, मैं एक वित्तीय समावेश समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समिति से किसान परिवारों के ऋण सुविधा दायरे से बाहर रहने के कारणों का पता लगाने तथा ऋण देने वाले संस्थानों से ऋण चाहने वाले प्रत्येक किसान परिवार के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी योजना तैयार करने संबंधी सुझाव देने के लिए कहा जाएगा।

बागवानी तथा मछली पालन

देश के विभिन्न भागों के आदर्श टर्मीनल बाजार स्थापित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए 2006-07 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। नागालैंड में एक केन्द्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना की जाएगी। शीघ्र ही राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने पर नियंत्रण रखें। टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छा नहीं लगता।

VII. विनिर्माण

रोजगार

श्री पी. चिदम्बरम : विनिर्माण तथा सेवा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने की क्षमता है। विनिर्माण क्षेत्र में हमने ऐसे कुछ उद्योगों की पहचान की है जो समुचित प्रोत्साहन दिए जाने पर काफी रोजगार अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं: वस्त्रोद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पैट्रोलियम, रसायन और पैट्रो-रसायन, चमड़ा तथा ओटोमोबाइल। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन तथा साफ्टवेयर बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

वस्त्र

पिछले दो बजटों ने वस्त्र उद्योग, विशेषकर सूती वस्त्रोद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) योजना के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। इस निधि के लिए, मैं आगामी वर्ष आवंटन को 435 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 535 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.) अक्तूबर, 2005 में आरम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य 25 वस्त्रोद्योग पार्क तैयार करना था। अभी तक, 7 पार्क स्वीकृत किए जा सके हैं तथा 10 पार्कों के विकास हेतु पहचान कर ली गई है। इस योजना के लिए मैं 189 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकार का 2006-07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिससे इस सुनहरी रेशे की क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। मैं एक सांकेतिक प्रावधान कर रहा हूं तथा यह आश्वासन देता हूं कि परिव्यय को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

हथकरघा

पिछले बजट में हथकरघा क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई थी जिनमें जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा हेतु योजनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बारे में समूहन विकास दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। 2006-07 में 50 करोड़ रुपये की लागत पर 100 अतिरिक्त समूहों को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। देश के विभिन्न भागों में यार्न डिपो स्थापित किए जाएंगे जिससे बुनकरों को यार्न की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। जिस प्रकार, "वूलमार्क" को एक पहचान मिल चुकी है, उसी प्रकार "हैंडलूम" मार्क को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। टीयूएफएस की तरह ही हथकरघा क्षेत्र के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिससे सावधिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा सके। मैं आगामी वर्ष के लिए प्रावधान की राशि 195 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 241 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

इस बात को मानते हुए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से कृषि तथा रोजगार सृजन तथा उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बैंक ऋण के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाएगा। इस क्षेत्र, विशेषकर, कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना तथा बाजार विकास के लिए पुनर्वित्त ऋण प्रदान करने हेतु नाबार्ड 1000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ एक अलग सुविधा आरम्भ करेगा। सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी। तंजावुर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र को एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रो-रसायन

पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रो-रसायन क्षेत्र में भारी निवेश तथा रोजगार की संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्य बल में वैश्विक स्तर के विकासकों तथा निवेशकों को शामिल किया जा रहा है। आशा है कि 2006-07 में ऐसे कम से कम तीन निवेश क्षेत्र विकसित कर लिए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं (आई.टी.ई.एस.) के विस्तार के साथ अब यह सही समय है कि सेमी-कंडक्टर तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले आईटी उत्पादों, जिनमें वेफर, सेमी कंडक्टर एसेम्बली टेस्ट विनिर्माण, फ्लैट एलसीडी/ओएलईडी/प्लाज्मा पेनल डिस्पले तथा स्टोरेज डिवाइज शामिल हैं, के निर्माण के लिए भारत को एक मनपसंद गंतव्य स्थल बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही एक नीति की घोषणा की जाएगी। ऐसी सुविधा (विंडो) आरम्भ करने के लिए मैं अर्थ क्षमता अंतर निधिकरण तथा भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) के मौजूदा साधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे नए उद्यमों के लिए इक्विटी भागीदारी तथा/अथवा अर्थ क्षमता अंतर का निधिकरण प्रदान किया जा सके। इस उभरते हुए क्षेत्र में निवेश की गति बढ़ाने के लिए यह सुविधा तीन वर्ष तक जारी रहेगी।

लघु और मझोले उद्यम

लघु और मझोले उद्यम (विकास) विधेयक के पेश किये जाने और

10 अगस्त, 2005 को घोषित ऋण नीति से, मेरा विश्वास है कि लघु और मझोले उद्यमियो की विचाराधारा में परिवर्तन हुआ है। आकार बढ़ाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में नया जोर दिया जा रहा है। शेयरधारकों के साथ उचित परामर्श और सलाहकार समिति की सिफारिश पर लघु उद्योग मंत्रालय ने अनारक्षण के लिये 180 मदों को चुना है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उधार देने की प्रक्रिया को नई गति देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

- सेवा क्षेत्र में एस.एम.ई. को मान्यता दी जाये और सेवा क्षेत्र में लघु उद्यमियों को विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्यमियों के समान माना जाये।

- मार्च, 2006 के अंत में ऋण गारंटी निधि का कार्पस 1,132 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच वर्षों में 2,500 करोड़ रुपये किया जाये। मैं वर्ष 2006-07 में 118 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

- सभी ऋणों के लिये एक कालिक गारंटी शुल्क 2.5 प्रतिशत से कम करके 1.5 प्रतिशत करने के लिये लघु उद्योग ऋण गारंटी न्यास (सी.जी.टी.एस.आई.) को सलाह दी जाये।

- सी.जी.टी.एस.आई. के अधीन चीफ प्रोमोटर्स के रूप में चुने गये लगभग 30,000 उधारकर्ताओं को बीमा संरक्षण प्रदान किया जाए। बीमित धनराशि प्रति लाभार्थी 200,000 रुपये होगी और किश्तों का भुगतान सी.जी.टी.एस.आई. द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता परिषद (एम.एम.सी.सी.) ने एक पांच वर्षीय राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है। आई.सी.टी. संवर्धन, मिनी टूल रूम्स, डिजाइन क्लीनिक्स और एस.एम.ई. के लिये विपणन सहायता की स्कीमों सहित दस स्कीमें तैयार की गई है। इनका कार्यान्वयन पीपीपी (सरकारी निजी भागीदारी) माडल में किया जाएगा और अगले वर्ष के दौरान वित्त पोषण को संबद्ध किया जाएगा।

समूहन विकास

समूहन विकास माडल को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं बल्कि औद्योगिक नगरों के नवीकरण और नये औद्योगिक नगरों के निर्माण के लिये भी लाभदायक रूप से अपनाया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले नौ क्षेत्रों में एक या दूसरे रूप में अब इस माडल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन क्षेत्रकों में खादी और ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि उत्पाद और औषधीय पौधे शामिल हैं। समूहन विकास के पर्यवेक्षण और प्रगति की मानिटरिंग के लिये एक समूह को अधिकारिता प्रदान करना लाभदायक होगा। अतः प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने का निर्णय लिया है जो समूहन विकास की नीति निर्धारित करेगा और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा।

VIII. सेवा क्षेत्र

पर्यटन

वर्ष 2005 में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3.92 मिलियन हो गई थी। यह अभी भी भारत की क्षमता का एक हिस्सा मात्र है। वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालयः-

- 15 पर्यटक स्थानों और सर्किटों का विकास एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना अपना कर करेगा;

- विद्यमान पर्यटन स्थलों और सर्किटों के समीप हस्तशिल्प, हथकरघों एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण दक्षता वाले 50 गांवों का पता लगायेगा और पर्यटक अनुभव बढ़ाने के लिये उन्हें विकसित करेगा; और

- छत्तीसगढ़ हरियाणा, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों में 4 नये होटल प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करेगा।

मैं आयोजना आवंटन की राशि को 786 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 830 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

विदेशी व्यापार

चालू वर्ष में पण्य निर्यातों में 18 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। आयात अधिक हैं, लेकिन इनका स्वागत है क्योंकि ये बढ़े पूंजी निवेश एवं औद्योगिक कार्यकलाप के संकेत हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने हमारे निर्यातकों के लिए सहायक वातावरण तैयार करने के लिए मिलकर कार्य किया है तथा हम वर्ष 2008-09 तक विश्व निर्यातों में अपना हिस्सा दुगुना कर 1.5 प्रतिशत पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

IX. आधारभूत ढांचा

दूरसंचार

भारत में दूरसंचार क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक तेज वृद्धि दरों वाले देशों में से एक है। जनवरी, 2006 के अंत में टेली-घनत्व 11.75

प्रति सैंकड़ा था। महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिसंबर, 2007 तक 250 मिलियन कनेक्शन को प्राप्त करना है तथा मैं सफलता के प्रति आश्वस्त हूं। मैं वर्ष 2006-07 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से 1,500 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

तीन वर्षों में 50 मिलियन से ज्यादा ग्रामीण कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके पश्चात कनेक्शन मांग पर उपलब्ध होंगे। ग्रामीण भारत तथा शहरी भारत के बीच डिजिटल अंतराल को पाट दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेलुलर टेलीफोनी के लिए आधारभूत ढांचा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचार मंत्री भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक बजट सत्र में लाएंगे।

विद्युत

ईंधन मुख्यतया एल.एन.जी. तथा कोयले की कमी के कारण वर्ष 2005-06 में विद्युत उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज की गयी है। मांग-पूत्रि के बीच असंतुलन बना हुआ है। उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 82 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा एक से तीन वर्ष की अवधि में इनके पूरा हो जाने के पश्चात् इससे सरकारी क्षेत्र में 33,000 मेगवाट क्षमता तथा निजी क्षेत्र में 6,500 मेगवाट क्षमता की वृद्धि होगी। इसमें से लगभग 15,000 मेगवाट का उत्पादन 31 मार्च, 2007 तक चालू हो जाएगा।

विद्युत मंत्रालय ने प्रत्येक 4,000 मेगावाट की पांच अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गयी हैं, जिसमें दो पिट-हेड (छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश में) तथा तीन तटीय (गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में) होंगी। हमारा इरादा है कि 31 दिसंबर, 2006 से पहले इन परियोजनाओं का काम शुरू हो जाए।

केवल क्षमता वृद्धि पर्याप्त नहीं है; हमें पारेषण तथा वितरण क्षेत्र में गहन एवं स्थायी सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्थकारी एवं अधिकार प्राप्त ढांचे के सृजन हेतु प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

पवन ऊर्जा सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 3,075 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 31 दिसंबर, 2005 तक इस लक्ष्य को पार कर लिया गया था तथा 3,650 मेगावाट क्षमता संस्थापित की गयी थी। मैं गैर-पम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अगले वर्ष में 597 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी राज्यों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। पहले वर्ष अर्थात चालू वर्ष में 10,000 गांव विद्युतीकृत किए जायेगें और 2006-07 में 40,000 और गांवों को विद्युतीकृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता की कुंजी वितरण, बिलिंग और संग्रहण हेतु फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति और समुचित वाणिज्यिक और संविदात्मक व्यवस्थाएं हैं।

कोयला

कोयला नीति की व्यापक समीक्षा की जा रही है। इस वर्ष विद्युत, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रकों तथा राज्य सरकारों की कैपटिव खपत हेतु 45 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के लिए 2012 तक की अवधि हेतु ब्लाक आरक्षित करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत परियोजनाओ हेतु 20 बिलियन टन के कोयला भंडारों के ब्लाक समाप्त कर दिए जाएं। कैपटिव खपत की परिभाषा भी संशोधित की जाएगी ताकि इस्पात, सीमेंट और विद्युत कंपनियों के साथ सुदृढ़ आपूर्ति संविदाओं वाले उत्पादकों द्वारा कोयले के खनन की अनुमति दी जा सके। सेंट्रल माइन्स प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट इन्स्टीटयूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की भण्डार की पुष्टि करने की ड्रिल क्षमता सिर्फ 200,000 मीटर प्रतिवर्ष है और इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

पैट्रोलियम

ऊर्जा संरक्षण सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान पर है। नई खोज लाईसैंसिंग नीति (एनईएलपी) के पांच दौरों में 110 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब एनईएलपी-VI अंतर्गत अपनी सबसे बड़ी पेशकश की है। 55 ब्लाकों और 355,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की, जो पिछले राउंड से तीन गुणा बड़ी है, निविदायें दी जा चुकी हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संघटकों में निवेश के अतिरिक्त हम शोधन, पाइप लाईन और हरित ईंधन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अकेले शोधन क्षेत्रक में अगले कुछ वर्षों में 22,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

सड़क परिवहन

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) निरंतर प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2005 में अब तक की सबसे अधिक संख्या व अधिकतम मूल्य की संविदाएं दी गई थी। मैं एनएचडीपी के

लिए बजटीय सहायता 9,320 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 9,945 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 4,618 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। मैं 2006-07 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 550 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

सरकार ने 1,000 किलोमीटर के पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास का निर्णय भी लिया है। ये नई सीध पर होंगे और अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण और प्रचालन (डी बी एफ ओ) माडल पर बनाए जाएंगे। वड़ोदरा-मुंबई, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-आगरा, बंगलौर-चैन्नई, और कोलकात्ता-धनबाद खंडों की पहचान की गई है। ग्राहियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पुनर्संरचना की जाएगी और इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसे सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अनेक परियोजनाओं को संभालने की क्षमता वाला बहुविषयक निकाय बनाया जाएगा। योजना और गुणवत्ता आश्वासन, मानकीकरण, विवाचन, सड़क-सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास में नए कौशल क्षेत्र सृजित किए जाएंगे।

समुद्री विकास

माननीय सदस्यों को यह विदित है कि सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी) का अनुमोदन कर दिया है। सिर्फ पत्तन क्षेत्र के लिए 55,804 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 101 परियोजनाओं का कार्य जारी है जिसमें अंतर्देशीय जल मार्ग, नौवहन तथा पत्तन, जिसमें कांडला, जे.एन.पी.टी. तथा पारादीप में सरणियों को गहरा करने का कार्य शामिल है। मैं नौवहन विभाग के लिए योजना आवंटन की राशि में 37 प्रतिशत की वृद्धि कर 735 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

देश के पूर्वी भाग में एक गहरे ड्राफ्ट पत्तन की आवश्यकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में एक नए गहरे ड्राफ्ट पत्तन के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है। विद्यमान राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, चेन्नई का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय समुद्री अकादमी के रूप में किया गया है तथा इसे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर मुंबई, कोलकाता तथा विशाखापत्तनम में स्थित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इतना अधीन होने की आवश्यकता नही है। सारा देश उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : भारत आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) का निगमन किया गया है तथा निधियों के लिए प्रथम प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधिपोषण हेतु अनेक परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। गुजरात में तीन सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है तथा 31 मार्च, 2007 के पूर्व इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

X. वित्तीय क्षेत्र

बैंकिंग, बीमा और पेंशन

1993-94 में बैंकिंग क्षेत्र में आरम्भ किए गए सुधारों के भाग के रूप में विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से बैंकों की पूंजी में वृद्धि की गयी थी। अभी तक, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 16,809 करोड़ रुपये दिये हैं। पूर्व में निरंतर निर्गत प्रतिभूतियों का योग करने पर कुल निवल पूंजी सहायता 22,808 करोड़ रुपये की है। पूंजी सहायता के कारण अंतराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला एक सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र उभरकर सामने आया है। हम उस चरण में पहुंच गए हैं जब हम सरकार तथा बैंकों के बीच विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त कर सकते हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् मैं लेन-देन नहीं की जा सकने वाले विशेष प्रतिभूतियों को लेन-देन योग्य, एस.एल.आर. भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण के माध्यम से विशेष प्रतिभूतियों को खोलने का प्रस्ताव करता हूं। यह अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुयी ऋण आवश्यकताओं के आलोक में उत्पादक क्षेत्रों को उधार के लिए बैंकों के अतिरिक्त संसाधनों की प्राप्ति को सुगम बनाएगा।

माननीय सदस्यों को यह विदित है कि के.पी. नरसिम्हन समिति की नियुक्ति बीमा संबंधी व्यापक कानून की अनुशंसा के लिए की गयी थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वर्ष 2006-07 में बीमा संबंधी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा इरादा है।

बैंकिंग नियमों में संशोधन करने तथा पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण विधेयक संसद के समक्ष हैं। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इसकी अनुशंसा की है। स्थायी समिति को धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से सरकार से सहयोग करने तथा इन विधेयकों को पारित करने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : नहीं, हम नही करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि आप हमारे सुझाव से सहमत होंगे तभी हम सहयोग करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी सुझाव स्वीकार नहीं किये जा सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : परंतु अच्छे सुझाव स्वीकार किये जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप शान्ति बनाये नहीं रखेंगे तो मैं उनसे सभी अच्छी परियोजनाओं में फेरबदल का आग्रह करूंगा।

पूंजी बाजार

श्री पी. चिदम्बरम : हाल के महीनों में पूंजी बाजार ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। विगत डेढ़ वर्ष में किए गए उपायों से यह बाजार सुव्यवस्थित, व्यापक और सुदृढ़ हुआ है। इस दिशा में और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। अतः मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

- सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश की सीमा 1.75 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर तथा कारपोरेट ऋण में एफआईआई निवेश की सीमा 0.5 बिलियन डालर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन डालर करना;

- म्युचुअल फंडों द्वारा विदेशी लिखतों में कुल निवेश पर सीमा 1 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर करना और 10 प्रतिशत पारस्परिक शेयर धारिता की अपेक्षा को हटाना;

- सीमित संख्या में अर्हक भारतीय म्युचुअल फंडो को विदेशी एक्सचेंजों में कारोबार की जा रही निधियों में, संचयी रूप से 1 बिलियन डालर तक निवेश की अनुमति देना; और

- सेबी के तत्वाधान में सेबी द्वारा वसूले गए जुर्मानों और दंडों से निधिपोषित एक निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना करना। इसे खुदरा निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा जिन्हे पूंजी बाजार का प्रमुख संचालक होना चाहिए।

इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी से विचार विमर्श किया गया है और वे यथासमय दिशा निर्देश जारी करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी परक्राम्य कारोबार प्रणाली में एनडीएस-ओ एम नामक अनाम इलेक्ट्रोनिक आर्डर मैचिंग ट्रेडिंग मोडयूल आरम्भ किया था। पहले चरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित निकायों, बैंकों और प्राथमिक डीलरों को इस प्रणाली में कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। अब इस प्रणाली का विस्तार सभी बीमा कंपनियों के लिए किया गया है। बाजार भागीदारों के उत्साहवर्धक रुख को देखते हुए और सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसकी पहुंच सक्षम म्युचुअल निधियों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गत वर्ष अपने बजट भाषण में, मैंने कारपोरेट बांडों पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब हम कारपोरेट बांडों के लिए एक एकल, एकीकृत एक्सचेंज-ट्रेडेड मार्किट गठित करने के कदम उठाएंगे।

XI. अन्य प्रस्ताव

अनुसंधान और विकास

हमारे उत्कृष्ट मानव संसाधनों में भारत को एक ज्ञान से परिपूर्ण समाज (नौलेज सोसाइटी) बनाने की क्षमता है। सरकार अनुसंधान और विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। कृषि विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना को शीघ्र ही बहुपक्षीय सहायता मिलने की आशा है और इसे जुलाई, 2006 में आरम्भ किया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता बोर्ड ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से मूल निधिपोषण के साथ अनेक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना की है। सरकार इंक्यूबेटी उद्यमियों को समर्थकारी रियायतें प्रदान करेगी।

उत्कृष्टता के संस्थान

गत वर्ष मैंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर को उसे एक विश्वस्तरीय संस्था के रूप में विकसित करने में सहायता करने के लिए 100 करोड़ रुपये के एक अभूतपूर्व अनुदान से एक शुरुआत की थी। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस संस्थान ने आधुनिकीकरण के एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम की मंजूरी प्राप्त की है और उसे कार्यान्वित कर रहा है। इस वर्ष मुझे दूसरी ऐतिहासिक घटना को भी महत्व देना होगा। तीन बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने 150 वें वर्ष मे प्रवेश किया है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय है। मैं प्रत्येक विश्वविद्यालय को विनिर्दिष्ट अनुसधान विभाग या उस विश्वविद्यालय मे अनुसधान कार्यक्रम के लिए

50 करोड़ रुपए के अनुदान से 150वें वर्ष के समारोहों की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष की समाप्ति पर मैं उनमें से प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये का दूसरा अनुदान देने का विचार रखता हूं।

मैं एक उत्कृष्ट संस्थान से प्रतिष्ठित संस्थान बने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को भारत में हरित क्रांति लाने में इसके अग्रणी योगदान के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि यदि एक प्राचीन भारतीय कौशल है तो जैव प्रौद्योगिकी एक नया अग्रणी क्षेत्र है जिस पर भी भारत अग्रणी रहेगा। जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, केरल को एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया है।

कौशल विकास

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सरकार ने पांच वर्ष की अवधि में 500 औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। 100 आईटीआई को अब निजी क्षेत्र की सहायता से इसके अंतर्गत लाया जा रहा है। शेष 400 आईटीआई को कवर करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता मांगी गई है। मैं 2006-07 में इस प्रयोजन के लिए 97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। गत वर्ष घोषित कौशल विकास अभिक्रम (एसडीआई) को एक सरकारी-निजी भागीदारी योजना के जरिए शुरु किया गया है और मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपये के आरम्भिक प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि

एक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना होने पर, अब तक चालू वर्ष मे पिछड़े के रूप में चिन्हित जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीआई) के अंतर्गत 1,156 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया है। इस निधि को पंचायती राज मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा जा रहा है और मैं 2006-07 में 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

जम्मू और कश्मीर

सरकार जम्मू व कश्मीर को विशेष सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। 2006-07 के लिए राज्य-आयोजना 2,300 करोड़ रुपये नियत की गई है। इसके अतिरिक्त मैं बगलिहार परियोजना के लिए 230 करोड़ रुपये सहित जम्मू व कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के लिए 848 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्य को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए योजना सहायता के अलावा 1,300 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव करता हूं।

रक्षा व्यय

सरकार ने अधिकारी रैंक से नीचे (पी.बी.ओ.आर.) के सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कार्मिकों की बेहतर पेंशन संबंधी फायदों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा किया है। अधिकारी रैंक से नीचे लगभग 12 लाख सैन्य बल कार्मिकों को 1 जनवरी, 2006 से लगभग 460 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया और मुझे विश्वास है कि सदन इस निर्णय का स्वागत करेगा।

रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर बढ़ते हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए मैं रक्षा के लिए 2006-07 में आवंटन को 83,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं और इसमें पूंजी व्यय के लिए 37,458 करोड़ रुपये शामिल होंगे।

ई-गवर्नेंस

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का शीघ्र अनुमोदन किया जाएगा और 2006-07 में, मिशन मोड में 25 परियोजनाओं की शुरूआत की जाएगी। उनमें से एक परियोजना एमसीए-21 है जिससे कंपनियां अपनी विवरणियां इलेक्ट्रोनिक रूप से दाखिल कर सकें और सार्वजनिक सेवा केन्द्रों की स्थापना और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए एक परियोजना शुरू की जा सके। सरकार का इरादा है कि अनेक सेवाओं को वेब-आधारित पद्धति में ऑन-लाइन लाया जाए जिनमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र, घरों, राशन कार्डों, अध्यापकों के स्थानान्तरण, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन पत्र, पुलिस में शिकायज दर्ज करना और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना तथा भू अभिलेखों की प्रतियां शामिल हैं।

इतिहास एवं विरासत का सम्मान

वर्ष 2007 में हम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम, जिसने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण किया, की 150वीं सालगिरह मनाएंगें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यक्रम को उचित रूप में मनाया जाए, मैं प्रारम्भ में इसकी तैयारी के क्रियाकलापों के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

गांधीजी से जुड़ी दो संस्थाएं, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राजघाट और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि, इंदौर को सहायता की आवश्यकता है। मेरा इन संस्थाओं के कार्पस में प्रत्येक के लिए वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपये प्रदान करने का इरादा है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : इस वर्ष भगत सिंह की जन्मशती भी है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि कुट्टीयट्टम, वैदिक मन्त्रोचारण और रामलीला को यूनेस्को द्वारा "मानवता की मौखिक एवं अमूर्त विरासत" घोषित किया गया है। इन प्राचीन कलात्मक धरोहरो और मौखिक परम्पराओं को सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है चूंकि इस विषय में हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हुई है इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार किए जाने तक, मैं 2006-07 में 5 करोड़ रुपये का आरम्भिक प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

XII. राजकोषीय समेकन

बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। संचयी रूप से 1,03,710 करोड़ रुपये की राशि के राज्य ऋणों का अब तक समेकन किया गया है। कर अंतरण की नई योजना के तहत 2004-05 में 78,595 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष में राज्यों के हिस्से के रूप में 94,402 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। जहां तक सहायता अनुदानों का संबंध है, 2004-05 और 2005-06 (सं.अ) में प्रदत्त राशियां क्रमशः 12,081 करोड़ रुपये और 25,134 करोड़ रुपये हैं। 2006-07 में कर-अंतरण और अनुदान दोनों काफी अधिक होंगे। जैसाकि आप बजट दस्तावेजों में देख सकते हैं, राज्यों को इतने अधिक वित्तीय साधन कभी उपलब्ध नहीं कराए गये।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने ऋण समेकन और राहत के लिए बजट में उपयुक्त प्रावधान किया है। मैनें 2006-07 में वैट से होने वाले नुकसानों यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।

सब्सिडी

सब्सिडियों का मुद्दा एक विभाजक मुद्दा साबित होने जा रहा है, परंतु मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह *अत्यावश्यक* है कि यदि हम सब्सिडियों को गरीबों और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में गंभीर हैं तो हम इस मोर्चे पर प्रगति करें। मेरे मंत्रालय ने तीन प्रमुख सब्सिडियों-खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम के संबंध में संबंधित पक्षों से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया है। हमने आम जनता के विचार भी मांगे हैं। उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों के प्रश्न पर वर्किंग ग्रुपों/समितियों ने विचार-मंथन किया है जिनमें अद्यतन डा. सी. रंगराजन समिति है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सब्सिडी के मुद्दे पर सर्वसम्पति तैयार करने में सरकार की सहायता करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : राजसहायता (सब्सिडी) जारी रहनी चाहिए..*(व्यवधान)*

सकल बजटीय सहायता और सकल राजकोषीय घाटा

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकोषीय क्षेत्र में दो ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, बाजिब दरों के जरिए बढ़े हुए राजस्व संग्रहण, कर अनुपालन और कर आधार पर विस्तार करने की रणनीति के मूर्त परिणाम सामने आ रहे हैं। केन्द्र के मामले में, सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से 2004-05 में 9.8 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, 2005-06 (संशोधित अनुमान) में और बढ़ कर 10.5 प्रतिशत हो गया। सरकार का अनुमान है कि बेहतर कर प्रशासन के जरिए, यह 2006-07 (ब.अ.) में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो जाएगा।

दूसरा, 2004-05, जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं; एक सुखद परिवर्तनकारी वर्ष सिद्ध हुआ है। 20 वर्षो के बाद सकल राजकोषीय घाटा उस वर्ष में आयोजना के लिए सकल राजकोषीय सहायता से कम रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि सरकार पूरी तरह उधार के जरिए योजना को वित्तपोषित नहीं कर रही है। क्या 2005-06 में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, इसका पता वास्तविक आंकड़ों के उपलब्ध होने के बाद ही चल सकेगा। तथापि, 2006-07 के बजट अनुमान में, मैं सकल राजकोषीय घाटे को योजना के लिए सकल बजटीय सहायता से बहुत कम की संख्या पर सीमित करने में सफल रहा हूं।

गत वर्ष, अनिच्छापूर्वक मुझे राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को विराम देना पड़ा था। मैंने 2005-06 के लिए राजस्व घाटा 2.7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मैं गलत सिद्ध हुआ हूं। हमने दोनों क्षेत्रों में सुधार किया है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के किए राजस्व घाटा केवल 2.6 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा केवल 4.1 प्रतिशत होगा।

XIII. वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान

मैं अब अगले राजकोषीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की ओर रुख करता हूं।

आयोजना व्यय

वर्ष 2006-07 के लिए आयोजना व्यय 172,728 करोड़ रुपये

होने का अनुमान है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में; आयोजना व्यय 2004-05 में 26.6 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 (सं.अ.) में 28.3 प्रतिशत और 2006-07 (ब.अ.) में और बढ़कर 30.6 प्रतिशत हो गया है। यह सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार को इंगित करता है।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 2006-07 में आयोजना-भिन्न व्यय 391,263 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2005-06 (ब.अ.) में आयोजना-भिन्न व्यय की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य वृद्धि के कारण है और हाल के वर्षों में सबसे कम वृद्धियों में से है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 563,991 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मैं केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 403,465 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 488,192 करोड़ रुपये होने का अनुमान करता हूं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा 84,727 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जी.डी.पी. का 2.1 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 148,686 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जी.डी.पी. का 3.8 प्रतिशत है। मुझे विश्वास है कि राजकोषीय सुधार प्रक्रिया 2006-07 में पुनः शुरू करने की अपनी वचनबद्धता को मैंनें पूरा किया है।

भाग - ख

XIV. कर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यू.पी.ए. सरकार के पहले बजट में और इससे अधिक दूसरे बजट में मैंने महत्वपूर्ण कर सुधारों का प्रयत्न किया था। इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। वर्ष 2004-05 में सकल कर राजस्व (अनन्तिम वास्तविक) पिछले वर्ष के वास्तविक कर राजस्वों की तुलना में 19.9 प्रतिशत बढ़े हैं और संशोधित अनुमानों के अनुसार 2005-06 में पिछले वर्ष के अनन्तिम वास्तविक की तुलना में उनके 21.4 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। यह आंकड़े हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी कर दरें सामान्य और स्थिर रखनी चाहिए।

अप्रत्यक्ष कर

मैं अप्रत्यक्ष करों से अपने प्रस्ताव शुरू करूंगा। सबसे पहले सीमा शुल्क है।

सीमा शुल्क कम करने की सरकार की नीति के अनुसार मैं गैर-कृषि उत्पादों के लिये अधिकतम दर 15 प्रतिशत से कम करके 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा विश्वास है कि हम पूर्वी एशियाई दरों से काफी कम दूरी पर हैं।

अधिकतम दरों को कम करने पर कच्चे मालों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर शुल्क कम करने की आवश्यकता है।

प्राथमिक इस्पात पर शुल्क 5 प्रतिशत है। मैं मिश्र इस्पात तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक अलौह-धातुओं पर शुल्क 10 प्रतिशत से कम कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह शुल्क दर लौह मिश्र धातुओं के लिये भी होगी।

वर्ष 2004-05 में, इस्पात की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए मैंने स्टील मेल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया था। इस्पात की कीमतों में गिरावट के आने से मैं शुल्क को 5 प्रतिशत पर पुनर्बहाल कर इसे मूल इस्पात के समकक्ष लाने का प्रस्ताव करता हूं।

खनिज उत्पादों पर इस समय शुल्क 15 प्रतिशत है। मैं कुछ अपवादों के साथ इसे 5 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं कच्चे लोहे और सान्द्रों पर भी शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

रेफ्रेक्टरीज में 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। रेफ्रेक्टरीज के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कई सामग्रियों में भी 10 प्रतिशत या उससे अधिक की दरों पर शुल्क लगाया जाता है। मैं इन शुल्कों को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

बुनियादी अकार्बनिक रसायन महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियां है। मैं शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मूल साइक्लिक तथा असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों पर मैं शुल्क की दरें घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उत्प्रेरकों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्लास्टिक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। इसलिए मैं पीवीसी, एलडीपीई और पीपी जैसे प्लास्टिकों के बड़े भाग पर 10 प्रतिशत के शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, प्लास्टिक के लिए नाप्था के उपयोग पर शुल्क को घटाकर शून्य पर लाया जाएगा।

मैं स्टाइरीन, ईडीसी तथा बीसीएम पर, प्लास्टिक हेतु कच्ची सामग्रियां है, शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं महत्वपूर्ण औषधियों पर कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं 10 एड्स रोधी और 14 कैंसर रोधी औषधियों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कतिपय जीवन रक्षक औषधियों, किट्स और उपस्करों पर शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। ये औषधियां सीमा शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से भी छूट प्राप्त होंगी।

पैकेजिंग मशीने खाद्य प्रसंस्करण सहित कई किस्म के उद्योगों में सहायक हैं। मैं पैकेजिंग मशीनों पर शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं प्राकृतिक गैस, कच्चे पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन से संबद्ध पाइपलाइन परियोजना के संबंध में 10 प्रतिशत की रियायती परियोजना दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने राज्य स्तर के करों की प्रतिपूर्ति हेतु सभी आयातों पर सी.वी.डी. लगाने का प्रस्ताव किया था। यह लेवी-आईटी सॉफ्टवेयर को छोड़कर आईटीए आबद्ध मदों और उनकी निविष्टियों के आयातों पर ही लागू थी। अधिकांश राज्यों में वैट के लागू होने के बाद, मुझे व्यापार और उद्योग जगत से प्रतिवेदन मिले थे कि इस लेवी को सभी प्रकार के आयातों पर लगाया जाए। यह तर्क आश्वस्तकारी है और मैं कुछ अपवादों के साथ सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस शुल्क के पूरे लाभ की अनुमति सीमाशुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माताओं को प्रदान की जाएगी।

घरेलू वनस्पति उद्योग के संरक्षण हेतु मैं वनस्पति पर 80 प्रतिशत तक सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जो दर कच्चे पॉम ऑयल पर लागू है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) को अपनी वस्तुएं घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में रियायती दर पर निकासी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आयात शुल्कों के घटने से डीटीए इकाइयों तथा ईओयू के सीमाशुल्क अथवा सीवीडी के संबंध में एक समान दर होनी चाहिए। इसलिए मैं ईओयू द्वारा डीटीए के संबंध में निकासी से संबद्ध शुल्क दरों को सदृश वस्तुओं पर बुनियादी सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के 25 प्रतिशत पर समायोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके बावजूद यह ईओयू को टैरिफ लाभ प्रदान करेगा अथवा कम से कम यह डीटीए इकाई के सममूल्य पर होगा।

अंत में, मैं एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उत्पाद तथा सीमा शुल्क दोनों से संबद्ध है। सूती कपड़ा उद्योग दो वर्ष पहले प्रदान की गयी राहत से काफी लाभान्वित हुआ। मानव निर्मित कपड़ा उद्योग विकास और रोजगार का वाहक है। इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी मानव निर्मित फाइबर यार्न तथा फिलामेंट यार्न पर सीमाशुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी मानव निर्मित फाइबर तथा यार्न पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप, डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी जैसी कच्ची सामग्रियों पर भी आयात शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। पैराक्सिलीन पर आयात शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

मेरे पास सीमा शुल्क के संबंध में कुछ प्रस्ताव हैं। इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारी मंशा सेनवेट दर पर भी दरों को कवरेज करने की है जो इस समय 16 प्रतिशत है। केवल वातित पेय तथा कार ऐसी दो मदे हैं जिन पर अभी भी 24 प्रतिशत की उच्च दर लगायी जाती है। मैं इसमें पर्याप्त रूप से सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वातित पेयों पर सीमा शुल्क को घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कारों के संबंध मैं केवल छोटी कारों के संबंध में उत्पाद शुल्क को घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रयोजनार्थ एक छोटी कार का तात्पर्य ऐसी कार से होगा जिसकी लंबाई 4,000 एमएम से ज्यादा न हो और डीजल कार के संबंध में इंजन की क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा न हो तथा पेट्रोल कारों के संबंध में यह 1,200 सीसी से ज्यादा न हो। मुझे विश्वास है कि उद्योग जगत इस अवसर का उपयोग भारत को छोटी तथा ईंधन-किफायती कारों के विनिर्माण हेतु एक केन्द्र बनाने के बतौर करेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें केवल मारुति उद्योग को ही लाभ होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, यह ठीक तरीका नही है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं काउंटर में विक्रय होने वाले पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुक लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इंटरनेट से डाउन लोड होने वाले कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर पैकेजों को इस लेवी से छूट मिलेगी।

मैं डीवीडी ड्राइव्स, फ्लैस ड्राइव्स तथा कोम्बो ड्राइव्स को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

पैकेट बंद मदों सहित कई खाद्य मदों में शून्य उत्पाद शुल्क लगता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं संघनिक दूध, आइसक्रीम, मांस तैयार करना, मछली और कुक्कुट, पैक्टिन्स पास्ता तथा खमीर को पूर्णत: उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। पैकेट बंद तैयार खाद्य वस्तुओं और शीघ्र तैयार

होने वाले खाद्य मिश्रणों जैसे *डोसा और इडली* मिश्रणों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : पकौड़ों का क्या होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि यह एक लोकप्रिय प्रस्ताव है।

श्री पी. चिदम्बरम : चूंकि चर्म तथा जूते महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसलिए मैं क्यूब्राकों तथा चेस्टनट नामक दो सब्जी रंगाई आसवनों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। 250 रुपये तक के थोक बिक्री मूल्य वाले जूतों पर पहले ही कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता। मैं 250 रुपये और 750 रुपये के बीच के खुदरा बिक्री मूल्य वाले जूतों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

वर्तमान में 2000 रुपये तक की कीमत वाले एलपीजी स्टोव पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इस रियायती दर को मूल्य सीमा का ध्यान रखे बिना सभी एलपीजी स्टोवों पर प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

ऊर्जा किफायती लैम्पों में उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु, मैं कम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं टेबल वेयर तथा किचनवेयर की विभिन्न किस्मों के बीच मौजूदा दर भिन्नताओं को दूर करने का प्रस्ताव करता हूं। परिणामस्वरूप, सिरेमिकवेयर तथा प्लास्टिकवेयर के समान ग्लासवेयर में उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत लगाया जाएगा।

कागज का शिक्षा में तथा पैकेजिंग में व्यापक उपयोग होता है। मैं विनिर्दिष्ट मुद्रण, लेखन तथा पैकिंग कागज पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत उपकर लगाया जाता है। वर्ष 2002 में यह दर 1,800 रुपये प्रति मी. टन निर्धारित की गयी थी। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से परामर्श करने के बाद मैं इस उपकर को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन मुझे आश्वस्त किया गया है कि यह वृद्धि तेल कंपनियों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और इसका पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुझे व्यापार तथा उद्योग जगत से दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैंने कम्प्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कम्प्यूटरों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। उस उद्देश्य की काफी हद तक पूर्ति हो गयी है। घरेलू विनिर्माताओं ने 12 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को फिर से लगाने की मांग की है ताकि वे सेनवेट क्रेडिट लेने में तथा आयातों से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो सकें। मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि 12 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होगा, इसलिए कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूसरा अनुरोध सेट टॉप बॉक्सेज पर उत्पाद शुल्क लगाने से संबद्ध है। मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने और 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर शून्य पर करने का भी प्रस्ताव हूं। यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार के सेट टॉप बॉक्स पर शुल्क दरों को बराबर कर देगा।

यदि मैं सिगरेट पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाता हूं तो समग्र तौर पर मैं अपने को कर्तव्य पालन में असफल पाऊंगा, इसलिए मैं सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क में लगभग 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : शराब पर क्यों नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : उत्पाद तथा सीमा टैरिफों से सम्बद्ध कठिनाई इनको प्राप्त अनेक छूटों की वजह से है। व्यापक समीक्षा के आधार पर, मैं उन कई छूटों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं जो अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रदान की गयी हैं। व्यापक रूप में, ऐसी छूटें जो उपयोगकर्ता-आधारित हैं, अथवा जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी है अथवा जिनके संबंध में प्रमाणन की आवश्यकता है अथवा जो विवादों का कारण बनती है, उन्हें केवल कुछ अपवादों के साथ रद्द किया जा रहा है। तथापि, एसएसआई क्षेत्र हेतु छूट यथावत बनी रहेगी।

हमने कुछ और अधिसूचनाओं की पहचान की है और जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। तथापि, अन्तिम निर्णय लेने से पहले मैं मंत्रालय के वैबसाइट पर ऐसी अधिसूचनाओं की सूची डालने और टिप्पणियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं सेवा कर का उल्लेख करता हूं। वर्ष 2005-06 में सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी का 54 प्रतिशत अनुमानित है। स्वाभाविक रूप से इसका राजकोष में भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में निरंतर दिशा का पालन करते हुए मैं सेवा कर नेट के अंतर्गत और सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। नई सेवाएं जिन्हें शामिल किया जाना है, उनमें एटीएम आपरेशन, रख रखाव तथा प्रबंधन, रजिस्ट्रार, शेयर अंतरण एजेन्ट तथा किसी निर्गम के बैंकर; विज्ञापन स्थान अथवा समय की बिक्री, प्रिंट मीडिया को

छोड़कर, कंपनियों के खेलकूद इवैण्ट्स को छोड़कर अन्य इवैन्ट्स का प्रायोजन, किफायती श्रेणी के यात्रियों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा; रेल माल भाड़ा प्रभारों को छोड़कर रेल के संबंध में में कंटेनर सेवा व्यवसाय सहायता सेवाएं; नीलामी कार्य, वसूली एजेंट; पोत प्रबंधन सेवा; क्रूसपोतों पर यात्रा; और लोक सम्पर्क प्रबंध सेवाएं शामिल हैं।

मैं अब सेवा कर के अधीन कतिपय सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उनका ब्यौरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वह बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

पट्टा और किराया खरीद उद्योग को ब्याज सहित भुगतानों के सभी संघटकों पर सेवा कर लगाने की वजह से कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मैं इस विसंगति में सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। तद्नुसार सेवा के मूल्य परिकलन में मूल धन के ब्याज तथा किश्तों को कम कर दिया जाएगा।

मेरे विचार में इस बात पर आम सहमति है कि देश को राष्ट्रीय स्तर की वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की ओर उन्मुख होना चाहिए और जिसकी भागीदारी केन्द्र और राज्यों के मध्य होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि हम 1 अप्रैल, 2010 को भारत में जीएसटी को लागू करने की तारीख के रूप में मानें। पूरे विश्व में मालों और सेवाओं पर कर की एक ही दर लगाई जाती है, जो जी.एस.टी. का आधार है। लोगों को जी.एस.टी. के विचार का अभ्यस्त होना चाहिए। अतः हमें उत्तरोत्तर सेवा कर दर और सेनवेट दर की ओर उन्मुख होना चाहिए। अब वैट दर इन दो दरों के बीच की रहती है। इसलिए मैं इस वर्ष एक कदम आगे बढ़कर सेवा-कर-दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे यह कहना है कि चूंकि भुगतान किया गया सेवा कर देय सेवा कर अथवा देय उत्पाद शुल्क के लिए क्रेडिट किया जा सकता है, इसलिए निवल प्रभाव बहुत कम होगा।

प्रत्यक्ष कर

मैं अब अपने प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं।

अच्छी खबर यह है कि वैयक्तिक आय कर अथवा कंपनी आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दूसरी खुशखबरी यह है कि कोई नए कर नहीं लगाए जा रहे हैं।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत छः में एक योजना में कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों के लिए विवरणी दायर करने की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु : 'सेवा कर' के बारे में क्या प्रस्ताव है। यह एक नया कर है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं साम्यता की दृष्टि से कतिपय कर दरों को मामूली तौर पर संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। जहां कंपनी कर दर 30 प्रतिशत हैं, वहीं न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के अंतर्गत दर, खाता लाभों का केवल 7.5 प्रतिशत है। मैं इस दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं, जो अभी भी सामान्य दर का एक तिहाई है। मैं खाता लाभों के परिकलन में प्रतिभूतियों से अर्जित दीर्घावधि पूंजी लाभों को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने पहले ही मैट अदा करने वाली कंपनियां को आगामी पांच वर्षों के दौरान मैट के लिए उधार लेने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी है। मैं इस अवधि को सात वर्षों तक बढ़ाने तथा ब्याज देयता के परिकलन के समय मैट उधार के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं।

प्रतिभूतियों के लेन-देन कर (एस.टी.टी.) संबंधी दरें उस समय निर्धारित की गयी थीं जब कि प्रतिभूतियोगी कीमतें काफी कम थी। प्रतिभूतियों के लेन-देनों में स्पष्ट पूंजी लाभों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए मैं एसटीटी की सभी दरों के संबंध में सभी स्तरों पर 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं।

आयकर अधिनियम की धारा 80झक ढांचागत सुविधाओं के संबंध में लागू होती है। किसी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए समापन तारीख 31 मार्च, 2006 है। मैं इस अवधि को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत क्षेत्र के संबंध में अति विशाल परियोजनाओं को देखते हुए मैं इस तारीख को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष, मैंने बचतों के संबंध में प्रावधान तैयार किए थे। उनमें मियादी जमा राशियों को शामिल नहीं किया गया था। यह मांग थी कि कतिपय अवधि वाली मियादी जमा राशियों को कर छूट हेतु पात्र माना जाए। मैं आयकर अधिनियम की धारा 80ग में किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की अवधि वाली मियादी जमा राशियों के निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं धारा 80गगग में कतिपय पेंशन निधियों के संबंध में अंशदान के संदर्भ में 10,000 रुपये की सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसकी, अधिकतम सीमा 100,000 रुपये होगी।

मैं आयकर अधिनियम में असीमित विस्तार वाली म्यूचुअल फंड की इक्विटी संबंधी योजनाओं की परिभाषा को सेबी द्वारा अपनाई गई परिभाषा के समरूप बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं लाभांश वितरण कर से छूट से प्रयोजन से असीमित विस्तार वाली इक्विटी योजनाओं तथा सीमित अवधि वाली इक्विटी योजनाओं को भी एक समान माने जाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने आयकर अधिनियम में दी गई छूटों पर फिर से विचार किया है। इसके परिणामस्वरूप, मैं धारा 10(23छ) के अंतर्गत छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं क्योंकि ब्याज दरें इतनी कम होने के कारण यह छूट प्रासंगिक नहीं है।

अन्य बैंकों की तरह सहकारी बैंक भी ऋणदाता संस्थाएं हैं और उन्हें अपने लाभ पर, कर अदा करना चाहिए। बुनियादी कृषि ऋण समितियां तथा बुनियादी सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अभी तक विशेष स्थिति में हैं और इसलिए वे आयकर अधिनियम की धारा 80(त) के अंतर्गत कर से मुक्त रहेंगे। तथापि, मैं अन्य सभी सहकारी बैंकों को इस धारा के दायरे से बाहर करता हूं।

धारा 54ङग तथा धारा 54ङघ कर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मैं धारा 54ङग के दायरे को केवल दो संस्थाओं अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा आरईसी तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं। नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी जो कि बैंक हैं, के लिए हमने व्यय लागत वाली निधियां जुटाने हेतु जीरो कूपन बांडों का मार्ग खोल दिया है। आवश्यकता होने पर सरकार इन संस्थानों को उपयुक्त समर्थन प्रदान करेगी जिससे वे अपने अधिदेशों को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु संसाधन प्राप्त कर सकें। मैं धारा 54ङघ के लाभ को भी 1 अप्रैल, 2006 से वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूं जो कि अब वास्तव में अनावश्यक बन चुका है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त की है कि चैरीटेबल संस्थाएं आयकर अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग करती हैं। मैं ऐसे एक दुरुपयोग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं जो कि अनाम अथवा नकली दान राशियां प्राप्त करने से संबंधित हैं। तद्नुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णतया चेरिटेबल संस्थाओं को मिलने वाली अनाम अथवा नकली दान राशि अथवा किसी संस्था को दिए जाने वाले दान पर उच्चतम सीमांत दर पर कर लगाया जाएगा। आंशिक धार्मिक और आंशिक चैरिटेबल संस्थाओं/न्यासों को ऐसे दानों पर तभी कर लगाया जाएगा यदि दान विशिष्ट रूप से शैक्षिक अथवा चिकित्सा प्रयोजन के लिए है। तथापि, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूर्णतया धार्मिक संस्थाओं और पूर्णतया धार्मिक न्यासों को ऐसे दान नए प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

राज्यों को विधानसभाओं के सदस्यों ने शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र भत्तों पर संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्तों से अलग प्रकार का कर लगाया जाता है। महोदय, सभा की सहमति से मैं इस असंगति को दूर करके इन्हें समान मानने का प्रस्ताव करता हूं।

आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) आय तथा व्यय के अभिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। उच्च मूल्य वाली लेनदेन संबंधी वार्षिक सूचना विवरणियों की छानबीन से पता चलता है कि 60 प्रतिशत लेनदेनों में पैन का उल्लेख नहीं किया जाता। इसलिए, मैं कतिपय मामलों में पैन जारी करने के अधिकार को स्व-विवेक पर लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कतिपय मामलों में पैन के लिए आवेदन करने हेतु लोगों को निर्देश देने का अधिकार लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं समय आने पर और अधिक लेन-देनों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनके लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मैं वार्षिक सूचना विवरणी में रिपोर्ट किये जाने हेतु कुछ और लेनदेनों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष मैंने दो नए करों की शुरुआत की थी। बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) एक वरदान की तरह साबित हुआ है; साधारण राजस्व के लिए नहीं क्योंकि यह तो इसका उद्देश्य था ही नहीं बल्कि उन उल्लेखनीय रास्तों के लिए जो इसने बना दिए हैं। उदाहरण के लिए, चांदनी चौक की एक बैंक शाखा में बीसीटीटी के माध्यम से भारी नकदी निकासी का पता चलने से आयकर विभाग को ऐसी तीन कंपनियों तक पहुंचने में सफलता मिली जो व्यापारियों से कटौती पर डिमांड ड्राफ्ट खरीदने का कारोबार कर रही थी तथा बिक्री कर तथा आयकर दोनों से बचने में इन व्यापारियों की सहायता कर रही थी। ये कंपनियां डिमांड ड्राफ्ट अपने स्वयं के खाते में जमा कर लेती थी और नकदी निकालती थी। 18 महीनों की अवधि में इन तीन मदों पर 1,500 करोड़ रुपये के काले धन को वैध धन में बदल दिया।

श्री हरिन पाठक : सभी लोगों को इसकी सजा नही मिलनी चाहिए, बल्कि केवल उन्ही लोगों को सजा दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव नोट कर लिया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम : बीसीटीटी ने जाली बिलों, आवास प्रविष्टियों, कृत्रिम हानि के दावे और फर्जी फर्मों का पता लगाने में भी विभाग की मदद की है। बीसीटीटी को कुछ और समय तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं जब तक एआईआर प्रणाली सभी महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन पकड़ने में सक्षम न हो जाए।

अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) की शुरुआत कर राजस्व जुटाने वाले उपाय के रूप में की गई थी। एफबीटी को समस्तरीय इक्विटी तथा विषमस्तरीय इक्विटी और समान्तर के सिद्धांतों पर न्यायोचित माना जा सकता है। फिर भी, मैंने खुले मन से इसकी पुनरीक्षा की है। मैंने शीर्ष वाणिज्य मंडलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी ध्यान दिया है। मैं आयकर अधिनियम के अध्याय XII-ज में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं:

- 'पर्यटन और यात्रा' के रूप में लाभ के मूल्य को 20 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत पर माना जाय;
- एयरलाईन कंपनियों और नौवहन उद्योग के मामले में 'आतिथ्य' और 'होटल' के खाने व रहने की सुविधाओं का प्रयोग' के रूप में लाभ के मूल्य को 20 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत पर माना जाये;
- डाक्टरों को वितरित दवाइयों व चिकित्सा उपस्करों के मुफ्त नमूनों पर खर्च को छोड़ना शामिल न किया जाये;
- ब्रांड अंबेसडर और सेलीब्रेटी इन्डोर्समेंट पर हुए खर्च को शामिल न किया जाये; और
- धारा 115 बख(1) (ग) के अंतर्गत 100,000 रुपये की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना ताकि किसी नियोक्ता द्वारा प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 100,000 रुपये से अधिक अनुमोदित सेवा निवृत्ति निधि में अंशदान पर एफबीटी लागू हो सके। धारा 80ग के अंतर्गत किसी कर्मचरी द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में 100,000 रुपये तक के अंशदान पर पहले ही छूट है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इन दो उपबंधों के तहत कर्मचारी के हित के लिए अब 200,000 रुपये प्रतिवर्ष तक कर-मुक्त अंशदान हो सकता है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों के भारी संख्या के मामले में यह छूट काफी उदार है।

इन परिवर्तनों के साथ ही मुझे विश्वास है कि एफबीटी पर बहस को विराम मिलेगा। मैं एक बार फिर सभी संबंधित को स्मरण कराना चाहूंगा कि समता के सिद्धांत पर एफबीटी न्यायोचित है।

कर-प्रशासन का आधुनिकीकरण

मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। आयकर और सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग व्यवसाय प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग (बी.पी.आर.) शुरू करेगें। राष्ट्र व्यापी नेटवर्क, राष्ट्रीय डाटाबेस सृजित करते हुए 510 शहरों में 745 आयकर कार्यालयों और 245 शहरों में 550 सीमाशुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों को जोड़ेगा। राष्ट्रीय डाटा केंद्र, डाटा भंडागारण सुविधाओं और आपदा राहत स्थलों की स्थापना की जा रही है। विवरणियों का क्षेत्राधिकार-मुक्त प्रस्तुतीकरण, खातों की स्थिति का आनलाईन पता लगाना और आयकर की वापसी अदायगियां संभव होंगी। सीमा शुल्क विभाग में जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) शुरू करने से माल को रखने के समय में कमी आएगी। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का ई-भुगतान संभव होगा। दोनों विभाग 2006 के अंत तक पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क वाले हो जाएंगे।

हमारी सरकार के दो बजटों ने कई नवीनतायें देखी हैं लिंग आधारित बजट, आउटकम बजट आदि। आज, मैं सदन के समक्ष एक और नई बात रखता हूं; छोड़े गए राजस्व संबंधी विवरण-विश्वभर में कर व्यय विवरण के रूप में जाना जाता है। यह विवरण सामान्य कर व्यवस्था से विचलनों पर रोक लगाएगा। यह प्रयोग पहला प्रयास है जो आने वाले वर्षों में बिल्कुल ठीक कार्य करेगा।

वैट और केन्द्रीय बिक्री कर

इस सदन को विदित है कि अधिकतर राज्यों ने 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू कर दिया है और सर्व सम्मत राय है कि वैट बहुत सफल रहा है। मुझे आशा है कि वैट-भिन्न राज्य शीघ्र मुख्य धारा में शामिल होंगे क्योंकि सुधारों का अगला चरण सभी राज्यों के वैट लागू करने पर निर्भर करेगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और केन्द्र से अनुरोध किया है कि राजस्व की संभावित हानि के लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति मौद्रिक और गैर-मौद्रिक उपायों के माध्यम से की जा सकती है जो साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों के राजस्व उत्प्लावक बने रहें। एक बार अधिकार प्राप्त समिति और सरकार एक समझौते पर पहुंच जाएं तब मैं विधायी परिवर्तनों और पूरक मांग सहित दृढ़ प्रस्तावों के साथ सदन में वापस आऊंगा।

इस समय सीएसटी और वैट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण हो गया है कि घरेलू प्रयोग के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) के मूल्य संतुलित किए जाएं। राज्य एलपीजी (घरेलू) पर उच्च दरों पर कर लगा रहे हैं। उन्हें भी पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे मूल्य भार के एक हिस्से को वहन करना चाहिए। इसलिए एलपीजी (घरेलू) के मूल्य को संतुलित करने के लिए मैं सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी (घरेलू) को 'घोषित वस्तुओं' की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे कर प्रस्तावों से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होना अनुमानित है। अप्रत्यक्ष करों की ओर लाभ का अनुमान 2,000 करोड़ रुपये है।

XV. निष्कर्ष

अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि विश्व ने भारत की क्षमता

को पहचान लिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि जिस पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का विशेष अधिकार दिया गया है वह इस देश की महानता और इसके लोगों की क्षमता की पुनः खोज करे। भारत के युवक किले बना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवाई किले हैं, परंतु जैसा कि हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, "यदि आपने हवाई किले बनाए हैं, तो आपका कार्य व्यर्थ नहीं होगा। यह वहीं होंगे जहां उन्हें होना चाहिए। अब उनके नीचे बुनियाद रख दीजिए।" यह हमारा कर्तव्य है कि बुनियाद खड़ी करें जिनपर युवक अपने किले बना सकते है। यू.पी.ए. सरकार इस कार्य के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है।

100 वर्ष से भी पहले एक अधीर परंतु उत्साही युवा व्यक्ति ने सम्पूर्ण आध्यात्मिकता की खोज में अपने साथियों को इन शब्दों में फटकारा था: "हम जैसा बोते है, वैसा काटते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। हवा बह रही है; जिन जलयानों की पालें खुली हैं वह हवा पकड़ती हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ती हैं, परंतु जिनकी पाले खुली नहीं होतीं, वह हवा नहीं पकड़तीं। क्या यह हवा का दोष है? ... ...हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं" यह स्वामी विवेकानन्द के अमर वचन हैं। हमें अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए हमे अपना भविष्य बनाना चाहिए।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभापटल पर रखता हूं:-

(एक) बृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्यम अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3712/2006]

अपराह्न 12.35 बजे

वित्त विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मुझे वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2006 पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 2006 पुरःस्थापित हुआ।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.37 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 1 मार्च, 2006/10 फाल्गुन, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 28.2.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/17/9/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।